न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायरा	तारीख फैसला
[illegible]/2020	11-09-2020	12/05/22

उनवान

01. सम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड 188/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

———: वादी

बनाम

01. सन्तासिंह
02. बचनसिंह
03. सुरेणसिंह
04. भगतसिंह पुत्रान स्व0 श्री जयमलसिंह
05. दयाकौर पुत्री स्व0 श्री जयमलसिंह
06. बचनोकौर पत्नी सन्तासिंह
07. मिन्द्रोकौर
08. छिन्द्रोकौर पुत्रीयान सन्तासिंह
09. सुन्दरसिंह पुत्र सन्तासिंह
10. लालसिंह पुत्र सुन्दरसिंह
11. पूरणसिंह पुत्र हरपालसिंह
12. बीराबाई
13. गुररोबाई
14. शीलाकौर
15. नेणाबाई पुत्रीयान हरपालसिंह
16. हरदीपकौर पत्नी हरपालसिंह
17. प्रकाशकौर पत्नी सम्पूर्णसिंह
18. टीटूसिंह
19. सुरेन्द्रसिंह
20. बलकारसिंह पुत्रान सम्पूर्णसिंह
21. सीमाबाई पुत्री सम्पूर्णसिंह
22. लालसिंह पुत्र मोहरसिंह
23. हुकमसिंह पुत्र मेवासिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
24. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

दावा तकासमा व हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:- निर्णय :-

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 658 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। योगेश शर्मा को विवादित आराजी के संबंध मे पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी की ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 23 की संयुक्त कब्जे काश्त शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में वादी कम्पनी का 17/33 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 23 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा है। जिस पर वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 23 मुताबिक अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है। रिकार्ड मे शामलात राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 23 अपने अपने हिस्से के अनुरूप मौके पर उक्त आराजी पर काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे है। हर इंच पर हर हिस्सेदार का हिस्सा है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 23 के मध्य वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विनोद कुमार यादव अधिवक्ता उपस्थित हुये को समुचित अवसर प्रदान करने पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके उपरान्त जवाब बन्द किया गया। शेष 2 लगायत 23 प्रतिवादीगण अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 24 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। वादी वकील ने वाद को प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 03-12-2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई। चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र कमांक भू.अ./2022/5043 दिनांक 04-04-2022 के द्वारा प्रकरण में कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिक्री किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 658 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार जर्ये डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश महाजन सा. 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली	658	0.1700	बारानी 2	0.6697

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

02.	गुरोबाई नेणाबाई वीरोबाई शीलाकौर पुत्रीयान हरजीत कौर पत्नी पुरणसिंह हरपाल सिंह हि0 857/8000 रायसिख सा. देह गैर खातेदार छिन्दोकौर मिन्द्रोकौर पुत्रीयान बचनोकौर पत्नि सुन्दरसिंह पुत्र सतासिंह हि0 1333/16000 रायसिख सा. देह खातेदार टीटू सिं बलकार सिंह सुरेन्द्र सिंह पुत्रान सीमाबाई पुत्री प्रकाशकौर पत्नी सम्पूर्णसिंह हि0 143/8000 रायसिख सा. देह गैर खातेदार दयाकौर पुत्री बंतासिंह भगतसिंह श्रवणसिंह सुरेणसिंह पुत्रान जयमलसिंह हि0 6667/16000 रायसिख सा. देह खातेदार लालसिंह पुत्र सुन्दरसिंह हि0 1/8 रायसिख सा. देह खातेदार लालसिंह पि0 मोहरसिंह हि0 1/8 रायसिख सा. देह गैर खातेदार हुकमसिंह पि. मेवासिंह हि0 1/8 रायसिख सा. देह गैर खातेदार	658/1	0.16	बारानी 2	0.6303

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०